03.11.2021

न्यायालय उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

अनुमति वाद संख्या– 18/2021

मंजु देवी (विक्रेता)

बनाम्

नीतु देवी (क्रेता)

आदेश

प्रस्तुत वाद मंजु देवी, पिता–जगदीश ठाकुर, पति– मदन ठाकुर सा0– बभण्डीह, जिला– लातेहार द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46(1) (बी) के अंतर्गत क्रेता नीतु देवी पति– अशोक कुमार, सा0– बरवाडीह, थाना– बरवाडीह, जिला– लातेहार के साथ मौजा– बभण्डीह, खाता संख्या–17 प्लॉट संख्या– 277 रकबा– 0.07½ एकड़ भूमि बिक्री हेतु अनुमति के लिए दिये गये आवेदन पर वाद की कार्यवाही प्रारंभ किया गया। अनुमति के लिए विक्रेता द्वारा आवेदन में बिक्री से संबंधित प्रस्तावित भूमि का जाचं प्रतिवेदन की मांग अंचल अधिकारी, बरवाडीह से की गयी।

अंचल अधिकारी, बरवाडीह के पत्रांक– 162 दिनांक 08.06.2021 से अनुमति से संबंधित भूमि का जांच प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसका अवलोकन किया। अंचल अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता नाई–हजाम (पिछड़ा वर्ग–1) जाति के सदस्य हैं, तथा क्रेता कहार (पिछड़ा वर्ग–1) दोनो एक हीं जिला क्षेत्र के निवासी हैं। दोनों पिछड़ा वर्ग–1 जाति दम्पति के उत्पन्न संतान है। आवेदिका को अपनी पुत्री की विवाह के लिए रूपये की सख्त आवश्यकता है, जिसका बन्दोबस्त बिना जमीन बिक्री के हो पाना संभव नहीं है। बिक्री की जानेवाली भूमि विक्रेता का खतियानी भूमि है तथा जमाबन्दी माता चन्द्रमानी देवी के नाम से चलता है। अंचलाधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार आवेदिका द्वारा धारित भूमि का रकबा– 2.39 एकड़ है, जिसमें से आवेदिका रकबा–0.07½ (शून्य दशमलव शून्य सात पूर्णांक एक बट्टा दो) एकड़ भूमि क्रेता नीतु देवी के साथ बिक्री करना चाहती है। आवेदिका द्वारा अनुमति के लिए प्रस्तावित भूमि के बिक्री के पश्चात् आवेदिका के पास रकबा–2.31½ एकड़ भूमि शेष बचता है। अंचल अधिकारी, बरवाडीह के प्रतिवेदन के अनुसार अनुमति हेतु प्रस्तावित भूमि विक्रेता का रैयती भूमि है। आवेदिका द्वारा बिक्री हेतु अनुमति के लिए प्रस्तावित भूमि का आम इस्तेहार निर्गत किया गया, जिसके विरूद्ध किसी व्यक्ति द्वारा आपत्ति आवेदन नहीं दिया गया है। साथ ही अंचल अधिकारी, बरवाडीह द्वारा जांच प्रतिवेदन में भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए अनुशंसा किया गया है।

अतः अंचल अधिकारी, बरवाडीह के अनुशंसा के आधार पर बिक्रेता मंजु देवी, पिता–जगदीश ठाकुर, पति– मदन ठाकुर सा0– बभण्डीह, जिला– लातेहार द्वारा मौजा– बभण्डीह, खाता संख्या–17 प्लॉट संख्या– 277 रकबा– 0.07½ एकड़ भूमि का क्रेता नीतु देवी पति– अशोक कुमार, सा0– बरवाडीह, थाना– बरवाडीह, जिला– लातेहार के साथ साथ छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46(1) (बी) के अंतर्गत बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त, लातेहार।

उपायुक्त, लातेहार।

Digitally signed by Abu Imran
Date: 2021.12.18 12:39:53 +05:30
Location: 10.93.47.14

Scanned with CamScanner